

विभाग का नाम :- खाद्य संरक्षा विभाग,

विभाग का पता :- आठवां तल, मयुर भवन, क्लॉट प्लेस, नई दिल्ली. 110001

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 200-अतारांकित

दिनांक:- 28-02-2019

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री पंकज पुष्कर

क्या स्वास्थ्य मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :-

	प्रश्न	उत्तर																
क)	क्या यह सत्य है कि डब्लू.एच.ओ. तथा एफ.एस.एस.आई. के सर्वे के अनुसार भारत और खासकर दिल्ली में दूध और दूध उत्पादों में 60 प्रतिशत नमूनों में मिलावट है और दस प्रतिशत मामलों में डिटरजेंट जैसे पदार्थों की खतरनाक मिलावट है.	यह सत्य नहीं है।																
ख)	फूड सेफ्टी विभाग ने 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसम्बर, 2018 तक दूध और दुग्ध उत्पाद के कितने नमूने जाँच हेतु लिए. उनमें से कितने फेल हुए व कितने मामलों में, क्या कार्रवाई की गई, पूरी दिल्ली तथा तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र से संबंधित जानकारी का पूर्ण विवरण क्या है.	फूड सेफ्टी विभाग ने 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसम्बर, 2018 तक दूध और दुग्ध उत्पाद के कुल 1348 नमूने जाँच के लिए उठाये गए, जिनमें से 191 नमूने जाँच में फेल हुए व 87 मामलों में कोर्ट में मुकदमें अबतक दर्ज किए जा चुके हैं। बाँकी मामलों जाँच पूरी होने पर न्यायालय में दर्ज कर दिए जाएंगे। तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र से कुल 23 नमूने उठाये गए, जिनमें से 2 नमूने फेल हुए जो जाँच पूरी होने पर न्यायालय में दर्ज कर दिए जाएंगे।																
ग)	एफ.एस.एस.आई. द्वारा तैयार की गई येलो मेनुअल (मिलावट के प्रति जागरूकता पैदा करने की) स्कूल तथा नागरिक समाज में किस तरह और कितनी संख्या में प्रसारित किया गया, और	एफ.एस.एस.आई. द्वारा तैयार की गई येलो मेनुअल (मिलावट के प्रति जागरूकता पैदा करने की) स्कूल तथा नागरिक समाज को ई-मेल द्वारा भेजी गई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:- <table border="1"><thead><tr><th>क्रम सं०</th><th>येलो मेनुअल</th><th>स्कूल एवं कालेज</th><th>नागरिक समाज</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>स्तर-1</td><td>2080</td><td>447224</td></tr><tr><td></td><td>स्तर-2</td><td>2080</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>स्तर-3</td><td>2080</td><td>-</td></tr></tbody></table>	क्रम सं०	येलो मेनुअल	स्कूल एवं कालेज	नागरिक समाज	1	स्तर-1	2080	447224		स्तर-2	2080	-		स्तर-3	2080	-
क्रम सं०	येलो मेनुअल	स्कूल एवं कालेज	नागरिक समाज															
1	स्तर-1	2080	447224															
	स्तर-2	2080	-															
	स्तर-3	2080	-															
घ)	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दूध में मिलावट के अपराध में आजीवन कारावास तक की सजा तय करने के विधायी परिवर्तन करने हेतु सरकार द्वारा अभी तक क्या प्रयास किए गए हैं?	खाद्य संरक्षा अधिनियम 2006 एक केन्द्रीय कानून है, जिसमें संशोधन करने की क्षमता केन्द्र सरकार के अधीन है।																

GURPREET SINGH
Administrative Officer